भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2981
15 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

न्यूनतम खरीद राशि

2981. श्री मनीश तिवारी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) (घरेलू) के अंतर्गत न्यूनतम खरीद धनराशि को संशोधित कर 5 रेक कर दिया है, जिसका अर्थ 13250 मीट्रिक टन खाद्यान्न है और अधिकतम खरीद धनराशि को समाप्त कर दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह धनराशि किसी लघु/मध्यम स्तर के खरीदार की क्षमता से अधिक है और इससे केवल कुछ अरबपतियों को आपूर्ति पर कब्जा और नियंत्रण करने का अवसर मिलेगा तथा यदि हां, तो इस खरीद सीमा को संशोधित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ओएमएसएस विशेषरूप से गैर-फसल कटाई सीजन के दौरान समय-समय पर पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं और चावल जारी करके खुले बाजार की कीमतों को कम करने के लिए है और अब खाद्यान्न खरीदने की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर इस उद्देश्य को विफल किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी हां, सिंगल ई-नीलामी में अधिक मात्रा की खरीद करने के इच्छुक बोलीदाताओं को ओएमएसएस (घरेलू) नीति 2021-22 के तहत रेक के माध्यम से गेहूं की बिक्री/संचलन की अनुमति दी जाती है। एक बोलीदाता को न्यूनतम 5 रेकों की बोली लगानी होगी (प्रत्येक रेक= 2650 टन) और रेकों की संख्या पर बोली लगाने के लिए बोलीदाताओं पर कोई अधिकतम प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

(ख): ओएमएसएस (घरेलू) 2021-22 के तहत छोटे निजी व्यापारी ई-नीलामी में भाग लिए बिना नामित एफसीआई/राज्य एजेंसी डिपो से 1-9 टन प्रति व्यक्ति प्रति डिपो गेहूं की खरीद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक थोक उपभोक्ता/व्यापारी गेहूं की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा तक के लिए क्रमशः 10 टन टन (10 के गुणज में) और 5000 टन तक की बोली लगा सकता है। एक थोक उपभोक्ता/व्यापारी चावल के लिए न्यूनतम और अधिकतम मात्रा में क्रमशः 50 टन और 3500 टन की बोली लगा सकता है।

(ग): ओएमएसएस (घरेलू) स्कीम का उद्देश्य खुली बिक्री के माध्यम से बफर और रणनीतिक रिजर्व मानकों के अलावा केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का उठान करना है। वर्ष 2021-22 के लिए ओएमएसएस (घरेलू) की शुरूआत से पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री की मात्रा में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है जो अधिशेष स्कीम के उठान के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में महंगाई की प्रवृति को नियंत्रित कर रही है।

******